लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील सं. 13/2026
जीसीएमएस सं. 2026/42

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
श्री विठ्ठल पिता माधवजी पाटीदार, निवासी नौगामा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाडा	बनाम	तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज.)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 15–04–2026

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन **(पोस्टल ऑर्डर नं. 64एफ478488)** दिनांक **14–02–2026** पर **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा (राज.)** द्वारा उपलब्ध नही करवाये जाने से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील के संलग्न अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा के पत्रांक 20 दिनांक 18.02.2026 अनुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार बागीदौरा को स्थानांतरित किया गया है। अतः तहसीलदार बागीदौरा को पक्षकार बनाया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक **01–04–2026** को जारी किया गया एवं पक्षों को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.13 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

दिनांक **15—04—2026** को प्रत्यर्थी **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज.)** ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र की सूचना कार्यालय के पत्रांक 30 दिनांक 16.03.2026 से साधारण डाक द्वारा भिजवा दी गई है, पुनः प्रार्थी को दिनांक 10.04.2026 को सूचना भिजवाई गई है। प्रति संलग्न है। अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

अपीलार्थी ने उपस्थित होकर कथन किया कि तहसीलदार बागीदौरा का सूचना बाबत् पत्रांक 30 दिनांक 16.03.2026 मुझे दिनांक 10.04.2026 को प्राप्त हुआ। जिसमें यह सूचित करते हुए कि चाही गई सूचना प्रश्नात्मक/ सृजनात्मक के रुप में है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत व्याख्यात्मक, सृजनात्मक एवं प्रश्नात्मक सूचना देने का कोई प्रावधान नही है। मैं इससे असन्तुष्ट हुँ। अपील अपीलार्थी स्वीकार कर वांछित सूचना प्रदान कराने आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज.)** के जवाब एव उनकी ओर से अपीलार्थी को वांछित सूचना से अवगत कराये गये पत्र का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी के आवेदन **(पोस्टल ऑर्डर नं. 64एफ478488)** दिनांक **14—02—2026** से 4 बिन्दु पर सूचना चाही गई है। आवेदन अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रश्नात्मक/ व्याख्यात्मक/ विशिष्ठि विहिन है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **6(1)(B)**के अनुसार चाही गई सूचना में स्पष्ट विशिष्टियाँ अंकित करना अपेक्षित है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना अपेक्षित नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.13 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना प्राधिकारी के द्वारा नियमानुसार संधारित की जाती है।

तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज.) द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक भू.विविध/2025/30 दिनांक 16.03.2026 से अपीलार्थी को सूचना के सन्दर्भ में अवगत कराया है। अतः अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही होने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **15–04–2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) **IAS.**
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.13 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested